न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 72/2016

अनवान

श्री भागचन्द पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी फरासिया तहसील–किशनगढ जिला–अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1. गुलाब देवी पुत्री श्री रामचन्द जाति जागिंड (ब्राह्ाण) निवासी फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर निवासी 46 आदर्श नगर अजमेर रोड मदनगंज किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
2. रामेश्वर पुत्र भँवर लाल (मृतक) जरिये वारिसानः
   2/1 सुरज्ञान पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर जाति जागिंड (ब्राह्ाण) निवासी फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर। हाल निवास बडौदा बैंक परिसर, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ, तहसील किशनगढ जिला–अजमेर।
   2/2–सरोज पुत्री स्व0 श्री रामेश्वर पत्नी महेन्द्र(मृतक)जरिये वारिसानः–
   2/2/1–राहुल उर्फ विनोद पुत्र महेन्द्र
   2/2/1–बिंदिया पुत्री महेन्द्र
   जाति जांगिड निवासी रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर।
3. नन्द किशोर पुत्र स्व0 रामकरण जाति जांगिड (ब्राह्ाण) निवासी ग्राम मिड मिल के पिछे, फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
4. गोपाल पुत्र स्व0 रामकरण जाति जांगिड (ब्राह्ाण) निवासी ग्रम मिड मिल कि पिछे, फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
5. रामस्वरूप पुत्र स्व0 रामकरण जाति जांगिड (ब्राह्ाण) निवासी ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
6. सीता पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी सीताराम जाति जांगिड (ब्राह्ाण) निवासी ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर। हाल निवासी–परबतपुरा बाईपास मैन चौराहा, तहसील अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः–
   6/1–सीताराम शर्मा पुत्र श्री महादेव जाति जांगिड(ब्राहम्ण)निवासी–सरस्वती वरदान इंजीनियरिंग कम्पनी, चरनाल पेट्रोल पम्प के पास, परबतपुरा–अजमेर।
   6/2–सचिदानन्द पुत्र श्री सीताराम जाति जांगिड(ब्राहम्ण)निवासी सरस्वती वरदान इंजीनियरिंग कम्पनी, चरनाल पेट्रोल पम्प के पास, परबतपुरा–अजमेर।
   6/3–रामेश्वर पुत्र श्री सीताराम जाति जांगिड(ब्राहम्ण)निवासी सरस्वती वरदान इंजीनियरिंग कम्पनी, चरनाल पेट्रोल पम्प के पास, परबतपुरा–अजमेर।
   6/4–विनोद पुत्र श्री सीताराम जाति जांगिड(ब्राहम्ण)निवासी सरस्वती वरदान इंजीनियरिंग कम्पनी, चरनाल पेट्रोल पम्प के पास, परबतपुरा–अजमेर।
   6/5–श्रीमती बबीता पुत्री श्री सीताराम जाति जांगिड(ब्राहम्ण)निवासी सरस्वती वरदान इंजीनियरिंग कम्पनी, चरनाल पेट्रोल पम्प के पास, परबतपुरा–अजमेर।
7. कंचन पुत्री स्व0 रामकरण पत्नी मोहनलाल जाति जांगिड (ब्राह्ाण) निवासी ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर। हाल निवासी–तेली मौहल्ला, मेवाडी गेट के पास, ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला–अजमेर।
8. माणकचन्द पुत्र नथमल जाति जांगिड(ब्राह्ाण) निवासी ग्राम सबलपुर तहसील मकराना, जिला नागौर।
9. कपिल पुत्र नथमल जाति जांगिड (ब्राह्ाण) निवासी ग्राम सबलपुर तहसील मकराना, जिला नागौर।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

10. अनिल पुत्र नथमल जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी ग्राम सबलपुर तहसील मकराना, जिला नागौर।
11. सुरेश पुत्र नथमल जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी ग्राम सबलपुर तहसील मकराना, जिला नागौर।
12. प्रेमचन्द पुत्र स्व0 चैनसुख जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी ग्रम मिड मिल कि पिछे, फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
13. पूनमचन्द पुत्र स्व0 चैनसुख जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी ग्रम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
14. रमेशचन्द पुत्र स्व0 चैनसुख जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी ग्रम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
15. गीता पुत्री स्व चैनसुख पत्नि अमरचन्द जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी ग्रम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर। हाल निवास–ग्राम खोडा गणेश जी तहसील व जिला–अजमेर।
16. गुडडी पुत्री स्व0 चैनसुख पत्नी गणपत (मृतक) जरिये वारिसानः–
    16/1– गणपलाल पुत्र घीसालाल
    16/2– संजय पुत्र गणपतलाल
    16/3– सुरेश पुत्र गणपलाल
    16/4 राजू पुत्र गणपलाल
    निवासी जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी ग्रम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर। हाल निवास–ग्राम खोडा गणेश जी तहसील व जिला–अजमेर।
17. संध्या पुत्री स्व चैनसुख पत्नी रामचन्द जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी ग्रम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर। हाल निवास–सरकारी स्कूल के पास कृष्णापुरी मदनगंज किशनगढ, तहसील किशनगढ जिला–अजमेर।
18. शान्ति पत्नी स्व जमनालाल जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी ग्रम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
19. अभिषेक पुत्र स्व जमनालाल
20. दीक्षा पुत्र स्व0 जमनालाल जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी ग्रम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
21. भंवरी देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी श्री लालचन्द (मृतक) जरिये वारिसानः–
    21/1 अमरचन्द पुत्र लालचन्द जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी परबतपुरा बाईपास जिला अजमेर।
    21/2 सुशीला देवी पुत्री लालचन्द पत्नी दौलत जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी भंजनगंज तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
    21/3 ज्ञानदेवी पुत्री लालचन्द जाति जांगिड (ब्राह्मण) निवासी मण्डपी, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
22. इस्लाम मौहम्मद पुत्र हजारी खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम उटडा, तहसील एवं जिला अजमेर ।
23. चौथमल पुत्र रामजीलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम बगरू जिला जयपुर।
24. कयुम पुत्र नियामत खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम उटडा तहसील एवं जिला अजमेर।
25. शाकिर मोहम्मद पुत्र अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम चमडा घर मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर
26. चॉदकरण पुत्र रामलाल लखोटिया (मृतक) जरिये वारिसान
    26/1 श्रीमति रतनकंवर पत्नी एवं स्व. चॉदकरण लखोटिया
    26/2 सुनील पुत्र स्व. स्व चॉदकरण लखोटिया

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

26/3 अनिल पुत्र स्व. चॉदकरण लखोटिया
26/4 वीना शारदा पुत्री चॉदकरण पत्नी लवकुमार शारदा
26/5 श्रीमति उषा बाहेती पुत्री चॉदकरण पत्नी राजेश बाहेती
26/6 निशा पुत्री चॉदकरण पत्नी श्रीराम बराडिया
निवासी चमडा घर मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
27. उप पंजीयक महो0 किशनगढ जिला अजमेर।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसील महो0 किशनगढ, जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री शोकिन्द लाल गुर्जर अभिभाषक प्रार्थी
2. सुमित जैन अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1
3. शहाबुद्धीन अभिभाषक अप्रार्थी 22 से 25
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :– 30.03.2017**

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/ अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थी के विरूद्व एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0 कास्त0 अधि0 1955 के तहत मय प्रार्थना पत्र 212 उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में इस आश्य का प्रस्तुत किया कि ग्राम फरासिया की वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 32/1 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 31 रकबा 04 बिस्वा वादिया/अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है। जिसे प्रतिवादीगण/अप्रार्थी सं0 02 लगायत 21 व प्रार्थी के पूर्वज भॅवरलाल रामकरण व चैनसुख के नाम दर्ज कर दी गई। कुछ आंशिक आराजी का बैचान भी कर दिया गया। वादग्रस्त आराजीयात का वादीया/अप्रार्थी 1 को अपनें निहित हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण/शेष अप्रार्थी व प्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण, बउनवानी गुलाबी देवी बनाम रामेश्वर वगै0 वाद संख्या 238/2013 दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 से 18 एवं 27/1 से 27/3 की और एक प्रार्थनाा पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया जिसे विद्वान न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अन्य प्रार्थी के न्यायहितो को दरकिनार करते हुए आदेश दिनांक 02.09.2016 के द्वारा खारिज कर दिया जिसके विरूद्व निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. खारिज करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिनिधि आये दिन पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते है तथा प्रकरण को वादिया के पक्ष में कराने पर आमादा है। अन्य व्यक्तियों को कहते रहते है कि जब चाहेंगे तब वादिया के प्रकरण को स्वीकार करवा देंगें। जबकि वाद विधि विरूद्व है तथा वादीया वाद को लाने का अधिकार ही नही है। इसका केवल मात्र कानून का दुरूपयोग करने को बढावा व प्रार्थी एवं अन्य को आर्थिक व मानसिक क्षति कारित करना है। पीठासीन अधिकारी भी व्यक्तिगत रूचि लेकर अन्य प्रकरण से हटकर उक्त प्रकरण में नजदीक तारीखें देकर जल्दबाजी में प्रकरण को वादीया के पक्ष में निर्णित किये जाने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी एव अन्य को न्याय का आभास नहीं होने से यह मुन्तकिली प्रार्थनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्री अशोक कुमार उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 238/2013 एवं प्रार्थना पत्र 212

30/3/17
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

बउनवानी गुलाब देवी बनाम रामेश्वर को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उप खण्ड अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी तलब की गई तथा अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से बिन्दुवार जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी सं0 01 एवं 22 से 25 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीया/ अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थी के विरूद्व एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत मय प्रार्थना पत्र 212 उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में इस आश्य का प्रस्तुत किया कि ग्राम फरासिया की वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 32/1 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 31 रकबा 04 बिस्वा वादिया/अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है। जिसे प्रतिवादीगण/अप्रार्थी सं0 02 लगायत 21 व प्रार्थी के पूर्वज भॅवरलाल रामकरण व चैनसुख के नाम दर्ज कर दी गई। कुछ आंशिक आराजी का बैचान भी कर दिया गया। वादग्रस्त आराजीयात का वादीया/अप्रार्थी 1 को अपनें निहित हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण/शेष अप्रार्थी व प्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण, बउनवानी गुलाबी देवी बनाम रामेश्वर वगै0 वाद संख्या 238/2013 दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 से 18 एवं 27/1 से 27/3 की और एक प्रार्थनाा पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया जिसे विद्वान न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अन्य प्रार्थी के न्यायहितो को दरकिनार करते हुए आदेश दिनांक 02.09.2016 के द्वारा खारिज कर दिया जिसके विरूद्व निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. खारिज करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिनिधि आये दिन पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते है तथा प्रकरण को वादिया के पक्ष में कराने पर आमादा है। अन्य व्यक्तियों को कहते रहते है कि जब चाहेंगे तब वादिया के प्रकरण को स्वीकार करवा देंगें। जबकि वाद विधि विरूद्व है तथा वादीया वाद को लाने का अधिकार ही नही है। इसका केवल मात्र कानून का दुरूपयोग करने को बढावा व प्रार्थी एवं अन्य को आर्थिक व मानसिक क्षति कारित करना है। पीठासीन अधिकारी भी व्यक्तिगत रूचि लेकर अन्य प्रकरण से हटकर उक्त प्रकरण में नजदीक तारीखें देकर जल्दबाजी में प्रकरण को वादीया के पक्ष में निर्णित किये जाने पर आमादा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाये जाने के कारण प्रार्थी एव अन्य को न्याय की उम्मीद/आभास नहीं है। यदि उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय से प्रकरण का अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण नहीं किया जाता है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं प्रार्थी न्याय प्राप्त करने से महरूम हो जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्री अशोक कुमार उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 238/2013 एवं प्रार्थना पत्र 212 बउनवानी गुलाब देवी बनाम रामेश्वर को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में अप्रार्थी सं0 2 के अभिभाषक ने निवेदन किया कि उप खण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को स्थानान्तरित करने बाबत प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 2.2.2017 को रिवीजन संख्या 3703/2015/टीए/अजमेर एवं 3704/2015/टीए/अजमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

किशनगढ को उपरोक्त वाद से सम्बन्धित प्रकरण दो माह में तय किये जाने बाबत दिशा–निर्देश दिये है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के कारण उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी सं0 2, उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा प्रेषित टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों को सिरे से नकारते हुए अंकित किया है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 का नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाते हुए उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पूर्ण निष्ठा से गुणावगुण पर निस्तारण किया गया है। अप्रार्थी सं0 01 से पीठासीन अधिकारी की कोई जान पहचान नहीं है। अप्रार्थी सं0 01 एवं उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई दवाब नहीं बनाया गया है न ही वे लोग उनके चैम्बर में बैठते है। प्रश्नगत प्रकरण में भी अन्य विचाराधीन प्रकरणों के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की गई है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किसी भी पक्षकार के साथ पक्षपात नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप निराधार, मिथ्या एवं मनगढन्त है। फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाता है तो उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है यह माननीय न्यायालय का विचारणीय बिन्दु है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ से प्राप्त टिप्पणी का मय पत्रावली अवलोकन किया। न्याय प्रशासन का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वसनीयता होनी चाहिये। किसी पक्षकार द्वारा उचित आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण को किसी अन्य पीठासीन अधिकारी के पास हस्तान्तरित किया जा सकता है। परन्तु इसी के साथ साथ निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों का समय समय पर निस्तारण करने का भी न्याय प्रशासन का अहम कर्त्तव्य है। इस परिपेक्ष्य में किसी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह असत्य एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आक्षेप लगाये, दबाव डाले एवं न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट उत्पन्न करें। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 2.2.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ को प्रश्नगत वाद से सम्बन्धित प्रकरण (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0) को दो माह में तय किये जाने बाबत दिशा–निर्देश दिये गये है। प्रार्थी, पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थना पत्र अनुसार लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। प्रार्थना पत्र के साथ किसी स्वतन्त्र गवाह/गवाहों के शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र कथनों की ताईद में संलग्न नहीं किये गये है। उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर कोई ठोस आधार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.03.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/03/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner